न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 – 110/2016

तारीख रजू – 28.09.2016

उनवान

मनोहरी पुत्र मंगला जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
– वादी

विरूद्ध

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति– राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम – पक्ष वादी

उपस्थिति – पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित –पक्ष प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक– 29.06.2018**

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि गत खसरा नं0 101/1/1 रकवा 2 वीघा 19 बिस्वा किस्म चाही ए व खसरा नं0 129 रकवा 1 वीघा 14 बिस्वा चाही प्रथम ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है तथा जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 तक मे इस भूमि की खातेदारी वादी मनोरी पुत्र लोहडया के नाम दर्ज है यह इन्द्राज भूप्रबंध से पूर्व का है। भूप्रबंध ने गत खसरा नं0 101/1/1 रकवा 2 वीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नं0 339 रकवा 0.68 एएयर, 340 रकवा 0.01 एयर, 337 रकवा 0.09 एयर कुल रकवा 0.78 एयर कायम किये है तथा गत खसरा नं0 129 रकवा 1 वीघा 14 बिस्वा के हाल नं0 311 रकवा 17 एयर, 338 रकवा 0.13 एयर कुल रकवा 0.30 एयर कायम किये है तथा उक्त रकवा ही वादी की खातेदारी मे दर्ज किया है इस प्रकार गत खसरा नं0 129 मे 0.43 एयर भूमि चाहिये थी जो 0.13 एयर भूमि कम दी है तथा हाल

उपखण्ड अधिकारी जिला–करौली (राज0)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

खसरा नं0 337 रकवा 0.09 की खातेदारी भी वादी के नाम गलत व खिलाफ मौका दी है यह सारी कार्यवाही दौराने सेटलमेन्ट विभाग ने की है वादी अपने गत खसरा नं0 101/1/1 व 129 के अनुसार ही आज तक पिछले पचासो साल से भूप्रबंध से पूर्व व दौराने भूप्रबंध व आज तक काबिज है तथा पुराने ट्रेस के अनुसार ही काबिज है सेटलमेन्ट विभाग गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नही किया है मिलान क्षेत्रफल भी सही तैयार नही किया है गत ट्रेस के अनुसार खसरा नं0 310 रकवा 0.22 एयर जो प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। यह भूमि वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये तथा खातेदार काश्तकार है तथा इसी भूमि पर कब्जा है तथा इसी रिकार्ड दुरस्ती के संबंध मे यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। गत खसरा नं0 339, 337, 311, 338 की खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 मे वादी के पिता लोहडया के नाम दर्ज है तथा वादी के नाम हो गई है तथा बाद मे बटा नं0 कायम कर दिये है। वादी अशिक्षित काश्तकार आदमी है तथा भूप्रबंध विभाग की इस गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो पाई थी वादी ने प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 23.09.2016 को निवेदन किया कि हमारे नाम रिकार्ड मे दुरस्ती कर दो इस पर वे इन्कार हो गये इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है और विनायदावा पैदा हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरस्ती डिकि किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 310 रकवा 0.22 एयर ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार पैरोकार उपस्थित हुये तथा उनकी तरफ से जबाव पेश किया।

प्रतिवादी सरकार पैरोकार की तरफ से नायब तहसीलदार उपतहसील बालघाट की तरफ से जबाव पेश कर कथन किया कि भूप्रबंध से पूर्व की जमाबंदी संवत 2039 से 2042 के खाता संख्या 78 मे खसरा नं0 101/1/1 क्षेत्रफल 2 वीघा 14 विस्वा व 129 क्षेत्रफल 1 वीघा 14 विस्वा लोहडया पुत्र काना के नाम था जो नामान्तकरण सख्या 94 दिनांक 08.11.1984 के द्वारा मनोहरी पि0मु0 लोहडया के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त नम्बरान के हाल खसरा नं0 339 क्षेत्रफल 0.68 हेक्टयर, 340 क्षेत्रफल 0.01 हेक्टयर, 337 क्षेत्रफल 0.09 हेक्टयर गत खसरा नं0 101/1/1 खसरा नं0 311 क्षेत्रफल 0.17 हेक्टयर, 338 क्षेत्रफल 0.13 हेक्टयर गत नं0 129 से बनाये गये है जो भूप्रबंध खतौनी मे लोहडया पुत्र काना मीना के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 26.08.2002 के द्वारा उक्त भूमि मनोहरी पुत्र मंगल हिस्सा 1/3, शिवराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3, मंगू, शिवली, बत्ती पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 3/15, सूकी बेवा सियाराम हिस्सा 1/15, मोटा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

इन्द्राज दुरस्ती करते हुये वादी का दावा डिक्रि करने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने जबावदावा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि साबिक रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से नवीन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाते हुये भूप्रबंध विभाग ने कोई गलती नही की है। नवीन रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस सही बनाये गये है। वादी की भूमि चारागाह है। भूप्रबंध विभाग ने चारागाह सही दर्ज की। दावा खारिज किया जावे।

बहस सुन पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। साबिक जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अनुसार ही जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाये गये है, भूप्रबंध विभाग ने कोई त्रुटि नही की है।

अतः दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।पर्चा फाईनल डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला–करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner